

**समाहरणालय, पटना**  
**(जिला स्थापना शाखा)**

फोन नं०-0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
E-mail ID-edepatna@gmail.com  
dm-patna.bib@nic.in

**आदेश**

श्री आलोक कुमार शर्मा, तत्कालीन लिपिक (निलंबित), अंचल कार्यालय, पुनपुन सम्प्रति मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी के विरुद्ध सूचक (परिवादी) श्री अखिलेश कुमार से दिनांक-06.06.2011 को 6000.00 (छः हजार) रूपया रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या-033/2011 दिनांक-06.06.2011 धारा-07/13 (2)-सह-पठित धारा 13(1)(डी)भ०नि० अधिनियम 1988 के तहत दर्ज होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार निभयतावली के नियम-3-1 (i) (ii)(iii) के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण करने एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रपत्र 'क' में गठित है। यह मामला निगरानी विभाग में अन्वेषण एवं विचारण में है।

उपर्युक्त के आलोक में आदेश ज्ञापांक-529/स्था० दिनांक-13.02.2012 के द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-181/वि०जाँ० दिनांक-05.12.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन -सह- मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में आदेश ज्ञापांक-2827/स्था० दिनांक-13.08.2013 के द्वारा श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त करते हुए जिला स्थापना शाखा, पटना में योगदान करने का आदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में आरोपी कर्मि द्वारा लिये गये रिश्वत तथा आरोपकर्ता एवं गवाहों की सुनवाई पर विचारण नहीं किया गया है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश ज्ञापांक-821/स्था० दिनांक-05.03.2014 के द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लेते हुए इन्हें पुनः निलंबित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना -सह- संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात उनके पत्रांक-290/वि०जाँ० दिनांक-11.09.2014 के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य की विवरणी निम्नांकित है :-

| आरोप का विवरण   | आरोपी का कारण पृच्छा  | संचालन पदाधिकारी का मंतव्य   |
|---|---|--|
| दिनांक-06.06.2011 को लगभग 4:30 बजे अपराहन में निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार किया गया। जिसके लिए निगरानी थाना कांड सं०-33/2011 दिनांक-06.06.2011 धारा 7/13 (2) सह पठित धारा-13(1) (डी) भ०नि०अधि० | मैं आलोक कुमार शर्मा, अंचल कार्यालय, पुनपुन, जिला-पटना में लिपिक के पद पर कार्यरत था। इसी अंचल ग्राम-बराह के पिन्दु कुमार पिता-रामस्वरूप सिन्हा प्रखण्ड अंचल कार्यालय में दलाली का कार्य करते हैं जिनके क्रियाकलाप को मेरे द्वारा निरन्तर विरोध किया जाता था क्योंकि इनके द्वारा जाति-आय एवं लैन्ड पोजेशन सर्टिफिकेट इत्यादि बनाने में फर्जीवाड़ा किया जाता था। इसकी शिकायत कई बार मैं अंचल अधिकारी, पुनपुन को भी मौखिक रूप से किया था। इनके द्वारा अपने आपको एक जाति विशेष का नेता बताकर प्रखण्ड अंचल कर्मियों का भयानक भ्रष्टाचार भी किया जाता था। इसी बात से क्षुब्ध और आक्रोशित होकर इनके द्वारा मुझे कई बार मुकदमा में फंसा कर जेल भेजने की धमकी भी दी गयी थी।<br>आगे सूचित करना है कि इसी क्रम में पिन्दु कुमार के द्वारा एक साजिश रचकर मुझ गरीब लोक सेवक को निगरानी विभाग को पुलिस कर्मियों को मेल में लाकर मुझे एक षडयंत्र के तहत झूठा केश में फंसाकर जेल भेजवा दिया गया है। इसी बात से लगाया | कांडिका-1. आरोपी पर दिनांक-06.06.2011 को लगभग 4:30 बजे अपराहन में निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर गिरफ्तार होने का आरोप है। आरोपी का कहना है कि सूचक एवं उनके भाई द्वारा निगरानी |

1988 के तहत दर्ज है तथा अन्वेषण एवं विचारण में है।

आपके उपरोक्त आचरण से स्पष्ट होता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं और भ्रष्ट आचरण करते हुए आपने सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य किया है।

जा सकता है कि दोनों व्यक्ति जेल भेजवाने हेतु छल पूर्वक अपने फुफेरे भाई अखिलेश कुमार का नाजायज इस्तेमाल किया गया। निगरानी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा उक्त लोगों से मिलकर मुझे गरीब लोक सेवक को झूठे केश काण्ड में फँसाने का किस प्रकार खेल खेला गया है। इसका खुलासा में निम्न तथ्यों के माध्यम से भवदीय के समक्ष करना चाहता हूँ।

1. यह कि पिन्दु कुमार के द्वारा ग्राम रामपुर थाना पुनपुन निवासी अपने फुफेरा भाई अखिलेश कुमार का इस्तेमाल करते हुए इनसे एक गुप्त आवेदन थानाध्यक्ष सह पुलिस अधीक्षक निगरानी थाना, पटना को दिनांक 05.06.2011 को दिलाया गया। जिसमें इस कार्य के लिए द्वारा मो०-10:00 रूपया रिश्वत माँगने का मिथ्या आरोप लगाया गया जिस कार्य के लिए मैं अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।

2. यह है कि निगरानी विभाग के धावदल के द्वारा मुझे आरोपों के मद्देनजर पहले मुझे दिनांक 06.06.2011 को संध्या 5:00 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद निगरानी थाना पटना में मेरे विरुद्ध प्राथमिकी काण्ड संख्या 33/2011 दिनांक 06.06.2011 समय 19:30 बजे दर्ज किया गया जो कानून विरुद्ध है।

3. यह कि परिवादी अखिलेश कुमार को मैं जानता भी नहीं हूँ न ही प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से पहले यह कभी मेरे पास कोई कार्य के लिए मेरे कार्यालय में नहीं आये थे। जबकि इनके द्वारा दिनांक 06.06.2011 को पिन्दु कुमार के इशारे पर षड्यंत्र पूर्वक एवं विशेषकर मुझे फँसाने के निमत से पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष निगरानी थाना, पटना में मेरे विरुद्ध एक गुप्त आवेदन दिया गया। ज्ञातव्य हो कि इस आवेदन में सूचक के द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में मुझ पर 10,000/- रूपया रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया है। परन्तु इस आवेदन के आधार पर निगरानी थाना पटना में न तो प्राथमिकी दर्ज की गयी और न ही कोई सनहा दर्ज किया गया और इसके बायी ओर आरक्षी संतोष कुमार सिंह को सत्यापन कार्य करने का पृष्ठांकित आदेश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि सत्यापन कार्य किसी मामले का अनुसंधान का ही प्रारम्भिक चरण है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-17 के तहत यह कार्य करने के लिए पुलिस का चतुर्थवर्गीय सिपाही प्राधिकृत नहीं है और यह कार्य थाना में कम से कम सनहा दर्ज कर पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाना चाहिए था। जाहिर है कि पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष निगरानी थाना पटना के द्वारा मुझे फँसाने के उद्देश्य से ही आवेदक के आवेदन पर निगरानी थाना में बिना कोई सनहा दर्ज किये ही गैर प्राधिकृत सिपाही को सत्यापन कार्य करने के लिए अवैध ढंग से कानून विरुद्ध आदेश दिया गया।

4. यह कि प्राथमिकी के साथ संलग्न सूचक के आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक के उक्त पृष्ठांकित आदेश को सिपाही संतोष कुमार सिंह के द्वारा इसी आवेदन पर "महाशय देखा" लिखकर बिना थाना अभिलेख में प्रस्थान आगमन का इन्डोज किये ही सत्यापन कार्य के लिए प्रस्थान कर गये हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर प्राधिकृत

विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र के तहत उन्हें फँसाया गया है। आरोपी का यह भी कहना है कि जिस कार्य के लिए उन पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया है वह उनको आवंटित ही नहीं था।

आरोपी का यह भी कहना है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फँसाने हेतु एक ही दिन दिनांक 06.06.2011 को सूचक से आवेदन प्राप्त कर लिया गया, उसी दिन उनके प्राधिकृत व्यक्ति का सत्यापन का पृष्ठांकित आदेश दिया गया तथा उसी दिन सिपाही द्वारा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया और उसी दिन धावदल का गठन भी कर लिया गया तथा उसी दिन उनकी गिरफ्तारी का पूर्वाभ्यास भी कर लिया तथा उसी दिन चंद घंटों के अन्दर उन्हें षड्यंत्रकारियों के इशारे पर गिरफ्तार भी कर लिया गया तथा उसी दिन पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम बनाकर प्राथमिकी भी दर्ज

**समाहरणालय, पटना**  
**(जिला स्थापना शाखा)**

फोन नं०-0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
E-mail ID-edepatna@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

सत्यापन कर्ता सिपाही सत्यापन कार्य के लिए मेरे कार्यालय में आये बिना ही कृत रचित और मनगढ़ंत सत्यापन प्रतिवेदन मुझे धावादल द्वारा गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष को दे दिये है जिससे कि मेरे विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा सके और झूठे मुकदमा में फँसाया जा सके।

5. यह कि सत्यापन कर्ता सिपाही के द्वारा दिनांक 06.06.2011 को ही सत्यापन दर्शाकर उसी दिन पुलिस अधीक्षक एवं अपर महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा आरोप सत्य पाये जाने पर भी मेरे विरुद्ध निगरानी थाना में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी और धावादल के गठन का अवैध आदेश सत्यापन कर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन पर ही पृष्ठांकित आदेश द्वारा दिया गया है, उसी दिन 06.06.2011 को ही धावादल का गठन दर्शाया गया है जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ही मेरी गिरफ्तारी के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती थी बूँकि मैं अंचल में कार्यरत एक तृतीय स्तर का गरीब कर्मचारी हूँ इसलिए निगरानी विभाग के द्वारा कानून और नियमों को ताक पर मुझे पहले झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में निगरानी कार्यालय में मुझे लाकर निगरानी विभाग के पदाधिकारियों एवं सूचक तथा इसके सगे संबंधियों के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

6. ज्ञातव्य हो कि निगरानी विभाग अपने ही आदेश ज्ञापांक-2697 दिनांक 31.05.2007 तथा मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 945 दिनांक 24.06.2005 का खुल्ला-खुल्ला उल्लंघन कर सूचक परिवादी से परिवाद पत्र के साथ कोई शपथ पत्र नहीं लिया गया है। जाहिर है कि निगरानी विभाग द्वारा निर्दोष लोक सेवकों के पद प्रतिष्ठा और जीवन से खिलवाड़ करते हुए कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर झूठा मुकदमा गढ़ कर फँसाने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाता है।

7. इस मामले का आश्चर्य जनक पहलू यह है कि मुझे जाल में षडयंत्र पूर्वक फँसाने हेतु एक ही दिन दिनांक 06.06.2011 को सूचक से आवेदन प्राप्त कर लिया गया, उसी दिन मेरे प्राधिकृत व्यक्ति का सत्यापन का पृष्ठांकित आदेश दिया गया तथा दिनांक 06.06.2011 को ही सत्यापन पर सिपाही द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया गया और इसके आलोक में दिनांक 06.06.2011 को ही श्री सी० पी० पासवान पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा धावादल का गठन भी कर लिया गया। मेरी गिरफ्तारी का पूर्वाभ्यास भी कर लिया गया तथा उसी दिन चन्द घंटों के अन्दर मुझे षडयंत्रकारियों के इशारे पर गिरफ्तार भी कर लिया गया, तथा उसी दिन पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम बनाकर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गयी तथा मुझे जेल भी भेज दिया गया।

8. धावादल के द्वारा जिन दो लोगों को इस ट्रेप मामले में स्वतंत्र साक्षी होने का दावा किया जा रहा है वे लोग निगरानी विभाग के खरीदे हुए लोग हैं तथा जिनमें पिन्दु कुमार मुख्य षडयंत्रकर्ता को एक स्वतंत्र साक्षी बताया गया है जो सूचक का फुफेरा भाई है तथा दूसरी गवाह गीता देवी, पति श्री गणेश प्रसाद सा० चितकोहरा थाना गर्दनीबाग जो सूचक की बहन है उपरोक्त

कर ली गयी तथा उन्हें जेल भी भेज दिया गया।

आरोपी का कारण-पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.06.2011 को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार किया गया तथा निगरानी थाना कांड

संख्या-33/11 दिनांक 06.06.2011 धारा 07/13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी) अ०नि०अधि० 1988 के तहत दर्ज है तथा अन्वेषण एवं विचारण में है। आरोपी का स्पष्टीकरण अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास मात्र है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर प्रपत्र-‘क’ में लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

दोनों स्वतंत्र गवाह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे और इन्हें फोन कर पटना निगरानी थाना में ही मेरी गिरफ्तारी के बाद बुलाकर उनका हस्ताक्षर बगैरह करवाया गया है तथा निगरानी पदाधिकारियों द्वारा पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम में मिथ्या ढंग से यह बात अंकित किया गया है कि घटना स्थल पर उपस्थित भीड़ में से दो गवाहों को बुलाकर पूछा गया कि आरोपी से इनका पूर्व में कोई विवाद तो नहीं है जबकि निगरानी पदाधिकारियों द्वारा अपने पद और बल का प्रयोग कर मुझे षड्यंत्र पूर्वक फँसाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

9. आगे श्रीमान् को सूचित करना है कि पदाधिकारियों के द्वारा मुझे इस कार्य के ऐवज में रिश्वत मांगने के झूठे आरोप में फँसाया गया है जो कार्य करने के लिए ये अपने नियंत्री पदाधिकारी अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा भी प्राधिकृत नहीं किया गया। ज्ञातव्य काण्ड के सूचक के द्वारा अपने आवेदन में मुझपर अनियोजन प्रमाण पत्र बनवाने के ऐवज में 10,000/- रूपया घुस मांगने का आरोप लगाया गया, जबकि अनियोजन प्रमाण पत्र बनाने का कार्य अंचल लिपिक श्री विमल यादव करते हैं, जबकि ये आगत, महादलित, ओबीसी का कार्य करने के लिए ही अंचल अधिकारी, पुनपुन के द्वारा प्राधिकृत था इस संबंध में सूचना के अधिकार के द्वारा अंचल अधिकारी, पुनपुन के द्वारा दिनांक 20.06.2011 को निर्गत दो पत्रों की फोटो प्रति श्रीमान् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाती है।

10. ज्ञातव्य हो कि मुझे गिरफ्तार करने गये धावादल के प्रभारी श्री सीपी पासवान पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना थे तथा प्रकाश कुमार सिपाही इस धावादल का सदस्य था और इन लोगों के आचरण का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों व्यक्ति वर्तमान में एक ए0डी0एम0 मनोज कुमार को गिरफ्तार करने के क्रम में उन्हें धमकी देकर सात ए0टी0एम0 कार्ड एवं इसका कोड हड़प कर 5,10,000/- रूपया अवैध ढंग से निकासी कर हजम करने के आरोप में निगरानी थाना काण्ड संख्या 75/11 के तहत जेल की हवा खा रहे हैं।

मैं भवदीय से अनुरोध करता हूँ कि निम्न बात की जाँच की जाय कि निगरानी कार्यालय से एक बार 25 मिनट में तथा दूसरी बार 30 मिनट में इस भीड़-भाड़ वाले रोड से अंचल कार्यालय, पुनपुन आया जा सकता है या नहीं इसकी जाँच की जाय।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के द्वारा स्वयं इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कमजोर एवं निर्दोष लोक सेवकों निगरानी विभाग के भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक एवं जान बूझकर फँसाया जा रहा है।

अतः इस त्राहिमाम संदेश के द्वारा भवदीय से गुहार लगाते हुए प्रार्थना करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इस मामले की जाँच अपने स्तर से करवाने एवं दोषी निगरानी पदाधिकारियों को दण्डित करने एवं झूठे मुकदमों से उवारने की कृपा की जाय।

संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन में आरोपी पर गठित आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है।

आरोप बहुत गंभीर एवं बृहद दंड के योग्य होने के कारण इस कार्यालय का ज्ञापांक-2910/स्था० दिनांक-10.11.2014 द्वारा श्री शर्मा से अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा देने हेतु श्री शर्मा के आवेदन दिनांक-25.11.2014 द्वारा समय की मांग की गई।

**समाहरणालय, पटना**  
**(जिला स्थापना शाखा)**

फोन नं०-0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
E-mail ID-edepatna@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

द्वितीय कारण पृच्छा के लिए अतिरिक्त समय दिये जाने के पश्चात श्री शर्मा के आवेदन दिनांक-29.06.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त हुआ, जो संक्षिप्त रूप में निम्नांकित है :-

“श्री शर्मा का कहना है कि पुनपुन अंचल के ही ग्राम-बराह के पिन्दु कुमार (दलाल) के द्वारा सूचक अखिलेश कुमार के माध्यम से एक साजिश रचकर निगरानी विभाग के पुलिस कर्मियों को मेल में लाकर एक षडयंत्र के तहत झूठा केश में फँसाकर मुझे जेल भेजा गया। मैं श्री अखिलेश कुमार को जानता नहीं हूँ, न ही प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से पहले यह कभी भी मेरे पास कोई कार्य से कार्यालय में नहीं आये, न ही इनके द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन ही दी गई है।

इनका यह भी कहना है कि गठित इस आरोप पर पूर्व में भी एक विभागीय कार्यवाही मेरे विरुद्ध चलाई गई थी, जिसमें मेरे विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण आदेश ज्ञापांक-2827/स्था० दिनांक-13.08.2013 से मुझे निलंबन से मुक्त कर निलंबन अवधि का वेतन का भुगतान निगरानी केश के निस्तार के बाद उसके फलाफल के आधार पर करने के साथ विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया था, जिसके आलोक में मैं जिला स्थापना शाखा, पटना में योगदान किया तथा बाढ़ अनुमण्डल कार्यालय में मुझे पदस्थापित किया गया। बाद में आदेश ज्ञापांक-821/स्था० दिनांक-05.03.2014 के द्वारा पुनः इस मामले में मुझे निलंबित करते हुए नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-52 दिनांक-10.02.2014 के विरुद्ध गलत एवं गैर कानूनी है। इस आदेश के विरुद्ध मैं माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7816/2014 भी दायर किया हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त पत्र के द्वारा उन कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का निदेश दिया है जो निगरानी विभाग के छापे में न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये हैं। जबकि मेरे मामले में निगरानी केर्ट में अभी भी मामला लंबित है, फिर भी मेरे विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। मेरे मामले को न्यायालय में लंबित रहने के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलाना न्याय संगत नहीं है।

इनका यह भी कहना है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपकर्ता, निगरानी के पदाधिकारी एवं गवाहों की सुनवाई नहीं की गई है तथा उन्हें Cross Examination का अवसर नहीं दिया गया है। केवल लगाये गये आरोप के आधार पर आरोप को प्रमाणित किया गया है। जो कानून की दृष्टि से गलत एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

अतः अनुरोध है मेरे द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा की जाय।”

**विचारण :-**

श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा भी इनके प्रथम कारण पृच्छा के ही लगभग समरूप है। प्रथम कारण पृच्छा में मुख्य रूप से कहा गया है कि सूचक एवं उनके भाई द्वारा निगरानी विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर एक षडयंत्र के तहत फँसाया गया है। जिस कार्य के लिए उन्हें रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया है, वह उन्हे आवंटित नहीं था। निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तारी की सारी प्रक्रिया एक ही दिन चंद घंटों में किया गया है, परन्तु निगरानी विभाग के पत्र एवं उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इन्हें निगरानी धावा दल के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है फलतः संचालन पदाधिकारी ने प्रथम कारण पृच्छा के तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए आरोप को प्रमाणित पाया है।

द्वितीय कारण पृच्छा में भी इनके द्वारा प्रथम कारण पृच्छा के बातों को ही दोहराते हुए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन को न्याय की दृष्टि से गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध बताया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि इनके विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित इस आरोप पर पूर्व में भी विभागीय कार्यवाही चली थी, जिसमें इनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण आदेश ज्ञापांक-2827/स्था० दिनांक-13.08.2013 के द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया। पुनः आदेश ज्ञापांक-821/स्था० दिनांक-05.03.2014 के द्वारा इन्हें निलंबित कर इनपर नये सिरे से विभागीय कार्यवाही चलाई गई। इस आदेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7816/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.07.2015 को पारित आदेश में श्री शर्मा के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा पर दिनांक-12.12.2015 को की गई सुनवाई के क्रम में श्री शर्मा द्वारा दिये गये लिखित आवेदन में भी उन्ही बातों को दोहराया गया है, जो पूर्व में इनके द्वारा अपनी कारण पृच्छा में कही गई है। द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य नहीं रखा गया है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए इनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।



**समाहरणालय, पटना**  
**(जिला स्थापना शाखा)**

फोन नं०-0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
E-mail ID-edcpatna@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

**निष्कर्ष :-**

उपस्थापन पदाधिकारी का मतव्य, आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री शर्मा के विरुद्ध दिनांक-06.06.2011 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा पकड़े जाने एवं भ्रष्ट आचरण करने तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3-1 (i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री शर्मा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहते हैं। इन्हें सेवा में रखना, सरकारी शील, निष्ठा एवं छवि को धुमिल करना है।

इन्हें कठोर दंड देना अनिवार्य हो गया है अन्यथा अराजकता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों के बीच गलत संदेश जाएगा।

अतः मैं संजय कुमार अग्रवाल, जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्ता, पटना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित-2007 के नियम 14(xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री आलोक कुमार शर्मा, लिपिक (निलंबित), अंचल कार्यालय, पुनपुन मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, मसौड़ी को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ।

श्री आलोक कुमार शर्मा, लिपिक से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. कर्मचारी का नाम | :- श्री आलोक कुमार शर्मा   |
| 2. पिता का नाम     | :- स्व० रामाशीष ठाकुर  |
| 3. पद का नाम       | :- लिपिक   |
| 4. कार्यालय का नाम | :- अंचल कार्यालय, पुनपुन सम्प्रति मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, मसौड़ी |
| 5. वेतनमान         | :- 5200-20200  |
| 6. ग्रेड पे        | :- 1900  |
| 7. स्थाई पता       | :- ग्राम-बरनी, थाना-धनरूआ, जिला-पटना                                 |

Eo/—

समाहर्ता,  
पटना।

ज्ञापांक—... XXX-17/2011..... **47** /स्था०, पटना, दिनांक— **06/07/16**

- प्रतिलिपि :- श्री आलोक कुमार शर्मा, लिपिक, अंचल कार्यालय, पुनपुन सम्प्रति मुख्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, मसौड़ी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, पुनपुन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री शर्मा की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री शर्मा को कराकर तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०), पटना को पटना जिला के वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा (सामान्य शाखा), पटना को सी०डी० के साथ जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्थापना उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला एवं सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, विभागीय जांच -सह- संचालन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Lian  
5/11/16  
समाहर्ता,  
पटना।